न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या 53/2022

1. दयाराम पिता भागीरथ जी जाति गुर्जर निवासी बासोठा तहसील बेगूँ
2. शंकरलाल पिता मांगीलाल जी जाति गुर्जर निवासी हरदेवपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. उंकार पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
2. किशना पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
3. गंगा पुत्री हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
4. गोपी पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
5. देवीलाल पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
6. नारू पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
7. नारायण पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
8. बरदीचंद पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
9. बाली पुत्री देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
10. मोहनी पति मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
11. रामचन्द्र पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
12. लालू पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
13. लाला पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
14. लीला पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
15. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काटून्दा तह0 बेगूँ
16. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री इफ्तेखार मोहम्मद अजमेंरी
अधिवक्ता वादीगण
श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा संख्या ::– 51/2022

1. गोपी मुतबन्ना स्व. रामलाल जी ओड (प्राकृतिक पिता हजारी जी ओड) निवासी निमोदा तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. उंकार पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
2. किशना पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
3. गंगा पुत्री हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
4. दयाराम पिता भागीरथ जी जाति गुर्जर निवासी बासोठा तह0 बेगूँ
5. देवीलाल पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
6. नारू पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
7. नाराण पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
8. बरदीचंद्र पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
9. बाली पुत्री देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
10. मोहनी पति मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
11. रामचन्द्र पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
12. लालू पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ

13. लाला पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
14. लीला पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
15. शंकरलाल पिता मांगीलाल जी गुर्जर निवासी हरदेवपुरा तह0 बेगूँ
16. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कादून्दा तह0 बेगूँ
17. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
18. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार शर्मा — प्रतिवादीगण
अधिवक्ता वादी
श्री मुरलीधर शर्मा एवं श्री शिवप्रकाश
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 30.05.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 53/2022 व अनवान दयाराम बनाम उंकार वगै.अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट का इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम निमोदा प.ह. कादूंदा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 14 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(अ) खाता संख्या 64

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
226	0.5800
227	0.2600
228	0.2800
229	0.2400
230	0.2000
231	0.0300
232	0.6400
233	0.0700
239मी.	0.3100
कीता–9	रकबा 4.6100 हैक्टर

(ब) खाता संख्या 25

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
241	0.6200
242	0.0100
243मी.	0.6100
244मी.	0.0400
कीता–4	रकबा 1.2800 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादपत्र की उपकलम संख्या (अ) में अंकित खाता संख्या 64 में अंकित आराजीया तमे वादी संख्या एक का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा एवं उपकलम (ब) में अंकित खाता संख्या 25 में अंकित आराजीयात में वादी संख्या एक का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा अनुसार वादीगण अपने निहित हक हिस्से पर काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 भी राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा भूमि पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 की उपकलम संख्या अ,ब में अंकित आराजयीात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक लगायत 14 तक का जमाबंदी में अंकित हक हिस्से अनुसारी राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगाकर 14 तक अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजसव रेकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय एवं लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए वादीगण ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने के लिए प्रतिवसादीगण को दिनांक 25.5.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने से यह वादपत्र वास्ते विभाजन हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वाद कारण दिनांक 25.5.2022 को उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि वर्णित कृषि आराजीयात बैंक शाखा के रहन होने से बैंक शाखा को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाये गये है। श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाए गए है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिक्री प्रदान कराई जावे :–

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा निमोदा प.ह. काटूंदा तहसील बेगूँ की उक्त वाद वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादपत्र की उपकलम संख्या (अ) में अंकित खाता संख्या 64 में अंकित आरीयात में वादी संख्या एक का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, एवं उपलकलम संख्या (ब) में अंकित खाता संख्या 25 में अंकित आराजीयात में वादी संख्या एक का 1/12 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का राजस्व जमाबंदी अरेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किए जाने का घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवदीगण प्रदान कराई जावे।

(ख) कि बाद विभाजन वादीगण का खाता अलग रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादीगण हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्ट किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कृषि आराजी ग्राम निमोदा प.ह. काटूंदा में होना स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या दो गलत होकर अस्वीकार है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है और वादीगण के जमाबंदी में अंकितानुसार हक हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादीसं. 4 गोपी मुतबन्ना स्वर्गीय रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी जी जाति ओड निवासी निमोदा तहसील बेगूँ निरंतर 20 वर्षो से काबीज हो काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 4 गोपी काश्त कर रहा है। वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर कब्जा व काश्त नहीं है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या तीन गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कभी भी विभाजन बाबत वार्तालाप नहीं की है। वादीगण ने मनगढन्त दिनांक अंकित कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। कलम संख्या चार गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कभी भी विभाजन बाबत वार्तालाप नहीं की है न ही हम प्रतिवादीगण वादीगण को जानते पहचानते है। वादीगण ने गलत वाद कारण अंकित किया है। कलम संख्या 5,6,7,8,9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध में वादीगण ने जो वाद पत्र दिनांक 1.08.2022 को न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया है जबकि इससे पूर्व ही दिनांक 15.6.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 गोपी मुतबन्ना स्वर्गीय रामलाल प्राकृतिक हजारी जी ओड निवासी निमोदा द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा.टी.एक्ट का न्यायालय श्रीमान आप मे प्रस्तुत किया हुआ है जिसके वाद संख्या 51/2022 में न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन होकर जिसमें आगामी पेशी 19.9.2024 को नियत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र उक्त आराजीयात के संबंध में विचाराधीन होने से एवं वाद वर्णित कृषि आराजीयात में प्रतिवादी सं. 4 गोपी मुतबन्ना स्वर्गीय रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा अपने गोद पिता स्वर्गीय रामलाल जी ओड की जीवितावस्था से ही निरंतर 20 वर्षो से वादीण्गा के निहित हक हिससे की भूमि पर काबीज हो काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 4 गोपी काश्त कर रहा है। वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर कब्जा व काश्त नहीं होने से एवं कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान आप में वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा. टी.एक्ट का पेश किया जिसमें आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिनिधि राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 4 गोपी मुतबन्ना स्वर्गीय रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी जी जाति ओड निवासी निमोदा ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन जवाब में इस प्रकार से किया है कि कृषि आराजी ग्राम निमोदा प.ह. काटून्दा में होना स्वीकार है। कलम संख्या दो गलत होरक अस्वीकार है वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है और वर्णित कृषि आराजी पर वादीगण जमाबंदी में अंकितानुसार हक हिस्से की कृषि भूमि पर में प्रतिवादी सं. 4 गोपी का निरंतर 20 वर्षो से काबीज हो काश्त करता चला आ रहा हूँ । वर्णित कृषि आराजीयात पर वर्तमान में भी मुझ गोपी का कब्जा होकर काश्त कर रहा हूँ। वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर कब्जा व काश्त नहीं है।

वाद पत्र की कलम संख्या तीन गलत होकर अस्वीकार है वादीगण ने मुझ प्रतिवादी संख्या 4 से कभी भी विभाजन बाबत वार्तालाप नहीं की है। वादीगण ने मनगढन्त दिनांक अंकित कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने मुझ प्रतिवादी संख्या 4 से कभी भी विभाजन बाबत बात नहीं की है न ही मैं प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण को जानता पहचानता हूँ। वादीगण ने गलत वाद कारण अंकित किया है। कलम संख्या 5,6,7,8,9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध में वादीगण ने जो वाद पत्र दिनांक 1.08.2022 को न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया है जबकि इससे पूर्व ही दिनांक 15.6.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 गोपी मुतबन्ना स्वर्गीय रामलाल प्राकृतिक हजारी जी ओड निवासी निमोदा द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा.टी.एक्ट का न्यायालय श्रीमान आप मे प्रस्तुत किया हुआ है जिसके वाद संख्या 51/2022 में न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन होकर जिसमें आगामी पेशी 19.9.2024 को नियत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र उक्त आराजीयात के संबंध में विचाराधीन होने से एवं वाद वर्णित कृषि आराजीयात में प्रतिवादी सं. 4 गोपी मुतबन्ना स्वर्गीय रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा अपने गोद पिता स्वर्गीय रामलाल जी ओड की जीवितावस्था से ही निरंतर 20 वर्षो से वादीगण के निहित हक हिससे की भूमि पर काबीज हो काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 4 गोपी काश्त कर रहा है। वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर कब्जा व काश्त नहीं होने से एवं कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान आप में वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा. टी.एक्ट का पेश किया जिसमें आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिनिधि राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

दावा संख्या 53/2022 के समेकित प्रतिवादी गोपी मुतबन्ना स्व. रामलाल ओड प्राकृतिक पिता हजारी निवासी निमोदा का वाद पत्र संख्या 51/2022 व अनवान गोपी बनाम दयाराम वगै वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट का जो कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा ने प्रस्तुत किया है वह संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि मौजा निमोदा प.ह. काटूंदा तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(अ) खाता संख्या 64

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
226	0.5800
227	0.2600
228	0.2800
229	0.2400
230	0.2000
231	0.0300
232	0.6400
233	0.0700
239मी.	0.3100

कीता–9 रकबा 4.6100 हैक्टर

(ब) खाता संख्या 25

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
241	0.6200
242	0.0100
243मी.	0.6100
244मी.	0.0400

कीता–4 रकबा 1.2800 हैक्टर

यह कि वादी के स्वर्गीय दादा जी श्री प्रताप पिता दल्ला जी ओड निवासी निमोदा तहसील बेगूँ के तीन जाइंदा पुत्र कमशः देवा, भूरा, हजारी (वादी के प्राकृतिक पिता) होकर मृतक हजारी के मै वादी एवं कमशः बरदीचंद्र उंकार मांगीलाल रामलाल व गंगाबाई पुत्र पुत्री संताने है एवं गुलाबीबाई पत्नी हजारी जो हमारी माता थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है एवं मुझ वादी का रामलाल एवं मांगीलाल भी फोत हो चुके है एवं मुझ वादी का सगा भाई स्वर्गीय रामलाल पिता हजारी जी ओड जिनके कोई जाइन्दा पुत्र पुत्री संतान नहीं होने से मुझ वादी को मेरे भाई रामलाल ने अपनी पत्नी की लालीबाई ने मुझ वादी के प्राकृतिक माता पिता की सहमति से मुझ वादी को मेरी बाल्यावस्था में ही जाति समाज के रस्म रिवाजनुसार एवं समाज के पंचो एवं रिश्तेदारो की मौजुदगी में मुझ वादी को गोदमातालाली की गोद में बिठा कर गोदपुत्र बना लिया लेकिन वादी के गोद माता पिता एवं प्राकृतिक माता पिता ग्रामीण परिवेश एवं अनपढ होने के कारण किसी प्रकार की कोई गोदनामा की लिखापढी नहीं कराई तथा मैं वादी गोदपुत्र की रस्म के समय से ही बतौर गोदपुत्र के रामलाल व लालीबाई द्वारा ही संपादित कराये गये तथा मेरे गोद माता पिता ने मुझ वादी को अपने घर में जन्मे पुत्र की भांति सेवा सुश्रुषा करता आ रहा हूँ तथा मै मेरे गोद माता पिता की समस्त चल

अचल सम्पति ग्राम निमोदा प.ह.काटूंदा तहसील बेगूँ में स्थित है जिस पर मै वादी काबीज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ जब मुझ वादी के गोद पिता रामलाल बीमार हुए तब मुझ वादी द्वारा उनकी समस्त तिमारदारी आदि मेरे द्वारा की गई, तथा वादी के गोद पिता रामलाल जी का स्वर्गवास हुआ तब मुझ वादी ने समस्त सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जाति रिवाज अनुसार जिसमें अंतिम संस्कार कियाकरम मुखाग्नि पिण्डदान प्रसादी अस्थि विसर्जन संस्कार आदि मुझ वादी द्वारा सम्पादित किये गये । तथा वादी के स्वर्गीय गोद पिता रामलाल जी ओड की पगडी भी समाज के मौतबीर पंचो ,रिश्तेदार एवं गावांई व्यक्तियों की मौजुदगी में मुझ वादी के बंधवाई गई।

यह कि वादी के गोद पिता स्व. रामलाल जी ओड के स्वर्गवास पश्चात मैं वादी अपनी गोदमाता लालीबाई के साथ निवास करता आ रहा हूँ एवं मुझ वादी द्वारा मेरी गोदमाता लालीबाई के साथ रहकर उसकी सेवाचाकरी एवं भरण पोषण एक घर में जन्मे पुत्र की भांति बखुबी करता रहा हूँ लकिन मुझ वादी की गोद माता लालीबाई ने अपने पीहर पक्ष एवं रिश्तेदारो के बहकावे में आकर छल कपट एवं घोखे से हलका पटवारी से मिलीभगत कर दिनांक 24.4.2016 को मेरे गोद पिता मृतक स्व. रामलाल जी ओड की समस्त कृषि आराजीयात जो ग्राम निमोदा प.ह. काटून्दा में स्थित का विरासत से नामान्तरण सं. 244 मे मुझ वादी की गोदमाता लालीबाई ने अकेले अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा लिया। जिसकी जानकारी भी मुझ वादी गोदपुत्र को नहीं होने दी। तथा मुझ वादी के गोद पिता की कृषि भूमि को मुझ वादी की गोद माता लालीबाई ने दिनांक 14.142.2021 को अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 4 दयाराम व प्रतिवादी सं. 15 शंकरलाल गुर्जर से विक्रय प्रतिफल की राशि 4,48,387/— रूपये नकद अकेले ही प्राप्त कर भूमि को बेचान कर दिया ळें एवं केता प्रतिवादी सं. 1 व 15 ताकत के बल पर वाद वर्णित कृषि आराजीयात में मुझ वादी के गोद पिता स्व. रामलाल जी की वाद वग्रित कृषि आराजीयात में मेरे हक हिस्से की कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा करने एवं मुझ वादी को बेदखल करने पर आमादा है, जबकि मै वादी मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी की जीवितावस्था से ही वाद वर्णित कृषि आराजीयात एवं संपति पर बहैसितय गोदपुत्र के काबीज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। जिस कारण मुझ वादी को मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी की समस्त कृषि आराजीयात में गोद पत्र की हैसियत से खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम अंकित कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि मै वादी मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी ओड के जीवितावस्था से ही उनकी समस्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर बहैसितय गोदपुत्र के कांबीज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है, लेकिन मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में स्वर्गीय रामलाल ज ओड के गोदपुत्र के रूप में अंकित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 दयाराम व प्रतिवादी सं. 15 शंकरलाल गुर्जर द्वारा दिनांक 05.05.2022 को जब मै वादी मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी के हक हिस्सा कृषि भूमि जो ग्राम निमोदा में स्थित है जिस पर मै वादी पालतु बकरिया चरा रहा था जहां पर प्रतिवादी संख्या 4 व 15 दयाराम व शंकरलाल गुर्जर व लालीबाई एवं इनके साथ आये व्यक्तियो ने मौके पर साथ मे ट्रेक्टर लेकर आये और मुझ वादी को कहा कि यहां तेरी कोई जमीन नहीं है आइन्दा इस हजमीन पर नजर आया तो तुझे जान से खत्म कर देगें और मुझ वादी को पकड कर जबरन कुंए मे डालकर मुझ वादी को जान से मारने का प्रयास किया। जिसका प्रकरण मुझ वादी द्वारा दिनांक 6.5.2022 को थाना पारसोली में दर्ज कराया गया है जो जैर अनुसंधान है।

यह कि यदि प्रतिवादी सं. 4 व 15 द्वारा वाद वर्णित कृषि आराजीया तमे मुझ वादी गोद पिता स्व. रामलाल जी ओड के हक हिस्से की कृषि आराजीयात को बेचान कर खुद बुर्द कर दिया जाता है तो मै वादी मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी ओड की वाद वर्णित कृषि आराजयीात के हक अधिकारो से वंचित हो जाउंगा तथा मुझ वादी को भारी अपूर्तनीय हानि होगीजिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना संभव नहीं होगा। एवं न्यायालय में अनावश्यक मुकद्मे बाजी बढेगी। वादी की गोद माता लालीबाई अपने पीहर चले जाने से वादी के गोद पिता स्व. रामलाल जी के हक हिस्से व वाद वर्णित कृषि आराजीयात संपति को अकेले किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 व 15 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति मुझ वादी के पक्ष में प्रदान किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 4 व 15 उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी संपति को किसी प्रकार से रहन बेचान, दान आदि से खुर्द बुर्द हस्तांतरित नहीं करें और ना ही अपने रिश्तेदार

जेट परिवार वालो से करावें इस आशय की आज्ञप्ति प्रदान कराये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 5.5.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 व 15 द्वारा उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात को रहन, बेचान एवं खुर्द बुर्द करने की धमकीयां देने से एवं मुझ वादी के हक हिस्से की कृषि आराजीयात पर जबरन ताकत के बल पर छीनने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वधित कृषि आराजीयात संपति न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। यह कि घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महादेय चित्तौडगढ राज्य के प्रतिनिधि होने से वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वर्णित भूमि बैंक शाखा के रहन होने से बैंक शाखा को वादपत्र में पक्षकार बनाया है।

यह कि वादपत्र वादी का स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष की डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे :–

(क) कि मौजा निमोदा प.ह. कादून्दा तहसील बेगूं में स्थित वादी के गोद पिता स्व. रामलाल जी ओड की समस्त कृषि आराजीयात मे गोदपुत्र की हैसियत से खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी गोपी मुतबन्ना स्व. रामलाल जी ओड निवासी निमोदा का नाम अंकित कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति मुझ वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 4 व 15 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादपत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित कृषि आराजीयात मे मुझ वादी के गादे पिता स्व. रामलाल जी ओड के हक हिस्से की कृषि आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 4व 15 किसी प्रकार से रहन बेचान, दान आदि से हस्तांतरित एंवं खुर्द बुर्द न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर ,एजेंट, रिश्तेदार , आदि से करें करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 4 व 15 के प्रदान करायी जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा व शिवप्रकाश ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8, 14 की ओर से जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादपत्र की कलम संख्या एक सही होरक स्वीकार है, एवं वाद वर्णित ग्राम निमोदा प.ह. कादूंदा की संयुक्त आराजी स्थित होकर वादी को स्वर्गीय रामलाल जी ओड के गोद रखना स्वीकार है रामलाल जी के स्वर्गवास पश्चात वादी गोपी द्वारा ही समस्त सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकम जाति रिवाजानुसार कियाकर्म मुखाग्नि एवं धामिर्क कार्यकम जाति रिवाजानुसार संपन्न किये गये और स्वर्गीय रामलाल जी की पगडी मौतबीरान लोग एवं हामरी मौजुदगी में वादी गोपी के बंधी है। तथा रामलाल के हक हिस्से की भूमि पर वादी काबीज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या दो सही होकर स्वीकार है। उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 व 15 का कोई कब्जा काश्त नहीं होकर वादी अपने गोद माता पिता के हक हिससे की संपति पर निरंतर निर्बाध रूप से वर्षो से काबीज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और वर्तमान में भी वादी उक्त संपति पर काबीज होरक उपयोग उपभोग कर रहा है । वादी के गोद माता पिता के हक हिस्से की समस्त कृषि आराजीया तमे एक गोदपुत्र की हैसियत से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या तीन सही होरक स्वीकार है। वादी स्वर्गीय रामलाल ओड की जीवितावस्था से ही उनकी समस्त हक हिस्से की वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर बहैसियत गोदपुत्र के काबीज हो उपयोग उपभोग कर रहा है जिस पर दिनांक 5.5.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 व 15 द्वारा जबरन कब्जा करने की नियत से लडाई झगडा कर विवाद किया जिसकी रिपोर्ट थाना पारसोली में दर्ज कराई गई।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर स्वीकार है। वादी के गोद पिता स्व. रामलाल जी के हक हिस्से व वादवर्णित आराजयीात को उसकी गोद माता लालीबाई जो कि वर्षो से उसके पीहर ग्राम मे ही रह रही है और उसके द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 व 15 जो कि अजनबी केता को बेचान की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 व 15 का कोई कब्जा काश्त नहीं होकर कब्जा काश्त वादी का ही निरंतर चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 5.5.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 व 15 द्वारा वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 व 15 जो कि अजनबी केता को बेचान की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 व 15 का कोई कब्जा काश्त नहीं होकर कब्जा काश्त वादी का निरंतर चला आ रहा है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 5 में अंकित दिनांक 5.5.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 व 15 द्वारा वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के हक हिस्से की भूमि को छीनने की गरज से लडाई झगडा किया और भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी कलम संख्या 6,7,8,9,10,11कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब दावा स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी अनुसार डिक्री फरमाया जावें।

इस प्रकार इस वादपवत्र का ईकबालिया जवाब दावा प्रतिवादीसंख्या 1, 2, 8, 14 की ओर से प्रस्तुत किया गया।

चूँकि वादपत्र संख्या 53/2022 के सामेकित यह वादपत्र संख्या 51/2022 को संलग्न किया गया है, तथा दोनो वादपत्र की न्यायिक कार्यवाही वादपत्र संख्या 53/2022 में होने पर दोनो पत्रावली के वादपत्रो एवं जवाब वाद को ध्यान मे रखते हुए निम्न तनकी पत्र पृथक से तेयार कर शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

1– आया कि मौजा निमोदा प0ह0 कादून्दा तह0 बेगूँ खाता संख्या 64 एवं 25 में अंकित वर्णित आराजीयात में खाता संख्या 64 में अंकित आराजीयात में वादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, एवं खाता संख्या 25 में अंकित आराजीयात में वादी सं0 1 का 1/12 हिस्सा , वादी सं0 2 का 1/12 हिस्सा एवं उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं0 1 से 14 का राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किए जाने व खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त कर पाने का वादी अधिकारी है? जिम्मे वादीगण

2– आया कि मुझ प्रतिवादी सं0 4 द्वारा न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र में अंकित वर्णित आराजीयात के संबंध में विचाराधीन होने से एवं वाद वर्णित आराजीयात में मुझ प्रतिवादी सं0 4 गोपी गुतबन्ना स्व0 रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी जी जाति ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ अपने गोद पिता स्व0 रामलाल ओड की जीवितावस्था से ही निरंतर 20 वर्षो से वादीगण के निहित हक हिस्से की भूमि पर काबीज हो काश्त करता चला आ रहा हूँ और वर्तमान में भी मैं प्रतिवादीसं0 4 गोपी काश्त कर रहा हूँ। वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजी पर कब्जा व काश्त नहीं होने से एवं कब्जे के अभाव में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 का पेश किया जिससे आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिनिधि राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ को पक्षकार नही बनाने के अभाव में वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नहीं है? जिम्मे प्रतिवादीगण

3– आया कि मुझ वादी का सगा भाई स्व. रामलाल पिता हजारी ओड जिसके कोई जाइन्दा पुत्र पुत्री संतान नहीं होने से मुझ वादी को मेरी बाल्यावस्था में जाति समाज के रस्म रिवाज अनुसार एवं समाज के पंचो एवं रिश्तेदारो की मौजूदगी में मुझ वादी की गोद माता लाली की गोद मे बिठाकर गोदपुत्र की रस्म संपन्न कर गोद पत्र बना लिया है। जिम्मे प्रतिवादीगण

4– आया कि मै वादी मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी की जीवितावस्था से ही वाद वर्णित कृषि आराजीयात एवं संपत्ति पर बहैसियत गोदपुत्र के काबीज होरक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। जिस कारण मुझ वादी को मेरे गोद पिता स्व. रामलाल जी की समस्त कृषि आराजीयात में गोदपुत्र

हैसियत से खातदोर के रूप में राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम अंकित कराने का अधिकारी जिम्मे प्रतिवादीगण

5– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य शपथ वादी दयाराम पिता भागीरथ गुर्जर का एवं गवाह कालूलाल पिता सोहनलाल गुर्जर का प्रस्तुत किया , जिनसे मुख्य परीक्षण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह करते हुए वादी व गवाह वादी के बयानों को कलमबद्ध कराया गया, वक्त मुख्य परीक्षण वादी ने पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। जिरह में वादी ने बताया कि वर्णित जमीन लगभग 4 व 5 साल पहले ली थी, यह भूमि लालीबाई ओड से ली थी। हम खातेदार है। जमीन पर अभी सरसो की फसल बो रखी है। इस प्रकार वाद पत्र में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी गोपी मुतबन्ना रामलाल ओड का प्रस्तुत किया गया जो उनके वादपत्र अनुसार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अन्य साक्ष्य शपथ पत्र में हरलाल पिता चम्पालाल ओड,मांगीलाल पिता चमना गुर्जर , भवानीलाल पिता चमना गुर्जर का प्रस्तुत किया मुख्य परीक्षण प्रतिवादी व गवाह प्रतिवादीगण से किया गया, प्रतिवादी ने वक्त जिरह बताया कि मै हजारी लाल जी के पैदा हुआ है, गोदनामा इस पत्रावली मे पेश नहीं किया है ग्रामीण परिवेश के हम गोदनामा नहीं समझते है। मैने किसी सिविल कोर्ट से रामलाल के उत्तराधिकारी होने की डिकी नहीं ली। मै सिविल कोर्ट में नही समझता, मैने एस.डी.ओ. कोर्ट में दावा पेश किया है। रामलाल जी की पत्नी का नाम लालीबाई है जो अभी जीवित है। मैने लालीबाई द्वारा बेचान की जो रजिस्ट्री कराई उसकी नकल तहसील कार्यालय से निकलवाई। मैने उसकी कोई अंतकाल अपील भी पेश नहीं की। मैने रजिस्ट्री केंसल कराने का दावा एसडीओ बेगूँ में पेश किया। रजिस्ट्री को एसडीओ साहब एवं कलक्टर साहब केंसल करते है। प्रतिवादी गवाह से मुख्य परीक्षण में बयान कलमबद्ध कराते हुए प्रतिवादीगण के बयान पूर्ण कराये गये। पत्रावली में साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण की पूर्ण होने पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए कहा कि वादीगण वाद वर्णित भूमि का विभाजन करवाना चाहते है। प्रतिवादी गोपी जिन्होने दावा अ0धा088–188 आर. टी.एक्ट का प्रस्तुत किया है जो कि गोपी मुतबन्ना रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी ने गोदपुत्र होने से दावा घोषणा का प्रस्तुत किया है लेकिन कोई रजिस्टर्ड गोदनामा इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही गोपी द्वारा सिविल कोर्ट से कोई उत्तराधिकार प्राप्त किया है। वादीगण खातेदार जिनका हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाने की डिकी फरमावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गोपी मुतबन्ना रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी जो कि रामलाल के गोदपुत्र रखा गया है तथा रामलाल की वर्णित कृषि आराजीयात पर अभी भी गोपी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। रामलाल जी कीपत्नि श्रीमति लालीबाई द्वारा रामलाल जी के खाते की भूमि का नामान्तरण अकेले ही अपने नाम पर कराते हुए भूमि का विकय कर दिया है जो निरस्त किया जाकर मुझ वादी के पक्ष में उक्त आराजी की घोषणा की जावें। प्रतिवादीगण दयाराम व शंकर लाल द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया है। अतः दावा डिकी किया जावें।

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा सभी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध कराने हेतु पत्रावली में प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा निमोदा प0ब0 कादून्दा की सम्वत 2078 की पेश की है जो खाता संख्या 64 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 239मी. कीता–9 कुल रकबा 4.6100 हैक्टर भूमि में वादी दयाराम का हिस्सा 1/36 व वादी शंकरलाल का हिस्सा 1/36 दर्ज है, तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा निमोदा प0ब0 कादून्दा की सम्वत 2078 की खाता संख्या 25 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 241,242, 243मी,244मी कीता–4 रकबा 1.2800

कृषि भूमि में वादी दयाराम का हिस्सा 1/12 व वादी शंकरलाल का हिस्सा 1/12 दर्ज अंकित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज है। दोनो ही जमाबंदी में वादीगण वर्णित हक हिस्से के खातेदार है जिन्हे अपने हिस्से की आराजी का विभाजन कराने का अधिकार धारा 53 राज0काश्त0अधि0 में प्राप्त है। जहॉ तक प्रतिवादी गोपी मुतवन्ना रामलाल प्राकृतिक पिता हजारी ओड द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 51/2022 में रामलाल के हिस्से की कृषि भूमि की घोषणा वादी गोपी के पक्ष में कराने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वादी गोपी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श–1 भू–प्रबन्ध विभाग की नकल है जो देवा भूरा हजारी पिता प्रताप कौम ओड सा.देह के नाम की है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 भी नकल भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी है जो कि हजारी वल्द प्रताव ओड के नाम की है। प्रदर्श–3 भू–प्रबन्ध विभाग की नकल खतौनी है जिसमें प्यारी गोपी पिता परथा कलाल के नाम की है। प्रदर्श–3, प्रदर्श'–4 से प्रदर्श 14 की नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में छायाप्रति विक्रय विलेख कृषि भूमि की प्रस्तुत की है जिसमें श्रीमती लालीबार्ठ धर्मपत्नी स्वर्गीय रामलाल ओड द्वारा उनके हिस्से की भूमि का विक्रय शंकरलाल पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर, दयाराम पिता भागीरथ गुर्जर को किया गया है उक्त पंजीकृत विक्रय दिनांक 14.12.2021 का है। वादी गोपी मुतवन्ना रामलाल जो कि अपने आप को रामलाल का गोदपुत्र बताते हुए उनके द्वारा इस दावा पत्रावली में को लिखित गोदनामा या भाट पानडी इत्यादि प्रस्तुत नहीं की है, चूँकि मृतक रामलाल की पत्नी श्रीमति लालीबाई ने राम लाल के हिस्से की भूमि को अपने खाते में कराते हुए उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय दिनांक 14.12.2021 को दयाराम व शंकरलाल गुर्जर को कर दिया है, जिसके पंजीकृत विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में निरस्त करायें बिना ही वादी गोपी द्वारा इस न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है, जबकि पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी गोपी अपने वादपत्र को सिद्ध कराने में असफल रहे है जबकि वादीगण अपने खातेदारी की भूमि का विभाजन करा पाने में सफल पाये गये है। अतः तनकी नम्बर 1बहकस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी गोपी का है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 के निर्णय में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रतिवादी गोपी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत दावा संख्या 51/2022 व अनवान गोपी बनाम दयाराम वगै, वादपत्र अ0धा0 88–188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया है जो कि इस न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 52/2022 व अनवान दयाराम बनाम उंकार वगै वादपत्र अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट के संलग्न की हुई है। वादी गोपी द्वारा अपने वादपत्र में अपने आप को मृतक रामलाल का गोद पुत्र होने से उनके हिस्से की भूमि को अपने खाते भूमि जिस पर गोपी अपना कब्जा काश्त बताते है को खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद भी कराना चाहते है, लेकिन मृतक रामलाल की पत्नि श्रीमति लालीबाई ने रामलाल के खाते की भूमि को अपने नाम नामान्तरित करा उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय प्रतिवादी दयाराम व शंकरलाल को दिनांक 14.12.2021 को कर दिया है,जबकि वादी गोपी द्वारा इस न्यायालय में वादपत्र दिनांक 12.8.2022 को पेश किया है, किसी भी पंजीकृत विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना ही इस न्यायालय दावा लाना न्यायविरूद्ध है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से तनकी नम्बर 2 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3–<u>तनकी नम्बर 3 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी गोपी का है। गोपी को रामलाल द्वारा गोदपुत्र लिये जाने से वादी द्वारा यह वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी गोपी मुतबन्ना रामलाल द्वारा उनके गोदपुत्र होने बाबत कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ना ही गोदपुत्र होना वह सिद्ध करा पाये है, साथ ही रामलाल के खाते की भूमि जिसे वह अपने पक्ष में घोषित कराना चाहते थे का पंजीकृत विक्रय रामलाल की पत्नी लालीबाई द्वारा प्रतिवादी दयाराम व शंकरलाल को वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाने से पंजीकृत विक्रय विलेख को

हिस्से कराने वादी गोपी द्वारा दावा लाया गया है जो न्यायसंगत नहीं है । इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी प्रतिवादी गोपी का है। जैसा कि तनकी नं0 1 ,2 व 3 के निर्णय से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी गोपी को रामलाल द्वारा गोदपुत्र रखा गया सिद्ध नहीं हो पाया है, गोपी का कथन है कि रामलाल की जीवितावस्था से वह रामलाल के हक हिस्से की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा है, लेकिन पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर रामलाल के मृत्यु पश्चात उनकी विरासत उनकी पत्नी श्रीमति लालीबाई के नाम पर की गई तथा श्रीमती लालीबाई द्वारा रामलाल के हक हिस्से की भूमि को पंजीकृत विकय दयाराम व शकरलाल को दिनांक 14.12.2021 को कर दिया गया है तथा वर्तमान में रामलाल के हक हिस्से की भूमि के खातेदार दयराम व शंकरलाल दर्ज अंकित है तथा उनके द्वारा उनके खाते की कृषि आराजी का विभाजन किये जाने हेतु भी दावा संख्या 52/2022 प्रस्तुत किया है, चूँकि भूमि दयाराम व शंकरलाल के खाते में दर्ज होने से कब्जा भी खातेदार का माना जाता है, साथ ही दयाराम ने अपने बयानो में वर्णित भूमि पर सरसो की फसल बोने का कथन किया है। वादी गोपी अपने कब्जे काश्त को सिद्ध कराने में भी असफल रहे है। इस प्रकार यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम सभी तनकी बहक वादीगण दयाराम व शंकरलाल के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णित की गई है। प्रतिवादीगण अपने पक्ष की तनकी व प्रतिवादी गोपी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे वाद वादीगण का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा निमोदा प0ह0 कादून्दा की सम्वत 2078 की पेश की है जो खाता संख्या 64 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 239मी. कीता-9 कुल रकबा 4.6100 हैक्टर भूमि में वादी दयाराम का हिस्सा 1/36 व वादी शंकरलाल का हिस्सा 1/36 व शेष हिस्सा जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण का साथ ही मौजा निमोदा प0ह0 कादून्दा की सम्वत 2078 की खाता संख्या 25 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 241,242, 243मी,244मी कीता-4 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में वादी दयाराम का हिस्सा 1/12 व वादी शंकरलाल का हिस्सा 1/12 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/-रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा उपरोक्त आराजी का विभाजन प्रस्तावत तेयार कर मय नक्शाट्रेस दो प्रति के साथ इस न्यायालय में भिजवाने का निर्देश दिये जाते है।

प्रतिवादी गोपी गुतबन्ना स्व.रामलाल ओड प्राकृतिक पिता हजारी ओड निवासी निमोदा द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 51/2022 व अनवान गोपी बनाम दयाराम वगै. वाद अ0धा0 88-188 आर. टी.एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से दावा खारिज किया जाता है।

दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है तथा प्राथमिक डिकी प्रति तहसीलदार बेगूँ को वारते विभाजन प्रस्ताव तेयार कर इस न्यायालय को भिजवाने हेतु दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर सारे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या 53/2022

1. दयाराम पिता भागीरथ जी जाति गुर्जर निवासी बासोठा तहसील बेगूँ
2. शंकरलाल पिता मांगीलाल जी जाति गुर्जर निवासी हरदेवपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. उंकार पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
2. किशना पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
3. गंगा पुत्री हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
4. गोपी पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
5. देवीलाल पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
6. नारू पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
7. नारायण पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
8. बरदीचंद पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
9. बाली पुत्री देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
10. मोहनी पति मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
11. रामचन्द्र पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
12. लालू पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
13. लाला पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
14. लीला पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
15. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काटून्दा तह0 बेगूँ
16. श्रीमान भूनिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री इफ्तेखार मोहम्मद अजमेंरी
अधिवक्ता वादीगण
श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा संख्या :— 51/2022

1. गोपी मुतबन्ना स्व. रामलाल जी ओड (प्राकृतिक पिता हजारी जी ओड) निवासी निमोदा तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. उंकार पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
2. किशना पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
3. गंगा पुत्री हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
4. दयाराम पिता भागीरथ जी जाति गुर्जर निवासी बासोठा तह0 बेगूँ
5. देवीलाल पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
6. नारू पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
7. नारण पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
8. बरदीचंद्र पिता हजारी जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
9. बाली पुत्री देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
10. मोहनी पति मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
11. रामचन्द्र पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
12. लालू पिता देवा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
13. लाला पिता भूरा जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
14. लीला पिता मांगीलाल जी ओड निवासी निमोदा तह0 बेगूँ
15. शंकरलाल पिता मांगीलाल जी गुर्जर निवासी हरदेवपुरा तह0 बेगूँ

16. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कादून्दा तह0 बेगूँ
17. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
18. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री मुरलीधर शर्मा एवं श्री शिवप्रकाश
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :–30.05.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इफ्तेखार अजमेरी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा व शिवप्रकाश सोनी की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.05.2025को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है।तथा दावा संख्या 51/2022 व अनवान गोपी बनाम दयाराम वगै वाद पत्र अ.धा. 88–188 आर.टी. एक्ट का खारिज किया जाकर दावा *प्राथमिक डिक्री किया जाता है* :–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा निमोदा प0ह0 कादून्दा की सम्वत 2078 की पेश की है जो खाता संख्या 64 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 239मी. कीता–9 कुल रकबा 4.6100 हैक्टर भूमि में वादी दयाराम का हिस्सा 1/36 व वादी शंकरलाल का हिस्सा 1/36 व शेष हिस्सा जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण का साथ ही मौजा निमोदा प0ह0 कादून्दा की सम्वत 2078 की खाता संख्या 25 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 241,242, 243मी,244मी कीता–4 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में वादी दयाराम का हिस्सा 1/12 व वादी शंकरलाल का हिस्सा 1/12 व शेष हिस्स जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा उपरोक्त आराजी का विभाजन प्रस्तावत तेयार कर मय नक्शाट्रेस दो प्रति के साथ इस न्यायालय में भिजवाने का निर्देश दिये जाते है।

प्रतिवादी गोपी मुतबन्ना स्व.रामलाल ओड प्राकृतिक पिता हजारी ओड निवासी निमोदा द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 51/2022 व अनवान गोपी बनाम दयाराम वगै. वाद अ0धा0 88–188 आर. टी.एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से दावा खारिज किया जाता है।

दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है तथा प्राथमिक डिकी प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते विभाजन प्रस्ताव तेयार कर इस न्यायालय को भिजवाने हेतु दी जाती है।"/

अंतिम डिकी आज दिनांक 30.05.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

दिनांक :– 4.6.25

क्रमांक/सरिश्ता/2025/428

प्राथमिक डिकी वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ